रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 1971/पौष 25, 1892
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1971/PAUSA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS
TARIFF VALUATION

New Delhi, the 14th January 1971

S.R. 93.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 149-Customs dated the 27th October, 1969, the Central Government, being satisfied that it is necessary so to do, hereby fixes with immediate effect, for the goods specified in column (2) of the Schedule annexed hereto and falling under Item No. 8 (2) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), the tariff values specified in the corresponding entry in column (3) thereof

SCHEDULE

Sl. No.	Description of goods	Tariff values
(1)	(2)	(3)
		Per quintal Rs. P.
I.	*Almonds of Afghanistan origin*	
	(a) In the Shell	
	(i) Soft shell	,, 1135.00
	(ii) Hard shell	
	(1) Gurbandhi	,, 1020.00
	(2) Girdhi	,, 935.00
	(b) Without shell	,, 2320.00
II.	*Pistachio nuts of Afghanistan origin*	
	(a) With shell	,, 1045.00
	(b) Without shell	,, 2615.00
III.	*Raisins of Afghanistan origin*	
	(a) Kishmish	
	(i) Commonly known as Kandhari	,, 640.00
	(ii) Commonly known as Kabuli	,, 435.00
	(b) Red, including Guldani and Lalmewa, in all packings and containers.	,, 450.00
	(c) Black, including black Monacca, in all packings and containers.	,, 455.00
	(d) All other sorts, including Monacca and Abjosh, in all packings and containers.	,, 500.00

[No. 14/F.No. 8/1/70-Cus. I.]

J. DATTA,
Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

दरिफ मूल्यांकन

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1971

सा०का०नि सं० 93.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 27 अक्तूबर 1969 की अधिसूचना संख्या 149—सीमाशुल्क

को अवस्थित करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 8(2) के अधीन आने वाले माल के लिये उसके स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा तत्काल से नियत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	माल का विवरण		टैरिफ मूल्य
(1)	(2)		(3)
		प्रति क्विन्टल	रु० पै०
I.	अफगानिस्तानी नस्ल के बादाम		
	(क) छिलकों में		
	(i) हल्का छिलका . . .	,,	1135.00
	(ii) सख्त छिलका		
	(1) गुरबंधी . . .	,,	1020.00
	(2) गिरधी . . .	,,	935.00
	(ख) बिना छिलके . . .	,,	2320.00
II.	अफगानिस्तानी नस्ल के पिस्तेनट		
	(क) छिलका सहित . . .	,,	1045.00
	(ख) बिना छिलके . . .	,,	2615.00
III.	अफगानिस्तानी नस्ल के दाख		
	(क) किशमिश		
	(i) साधारण रूप से कंधारी के रूप में जानी जाती हो . . .	,,	640.00
	(ii) साधारण रूप से काबुली के रूप में जानी जाती हो . . .	,,	435.00
	(ख) लाल जिसमें गुलदानी और लालमेवा भी शामिल है, सभी पैकिंग और आधानपात्रों में	,,	450.00
	(ग) काले जिसमें काले मुनक्के भी शामिल हैं, सभी पैकिंगों और आधानपात्रों में . .	,,	455.00

1	2	3
(घ) अन्य प्रकार के जिसमें मुनक्के और आबजोश भी शामिल हैं, सभी पैकिंगों और आधान-पात्रों में । . . .	,,	500.00

[सं० 14/एफ० सं० 8/1/70-सी०शु०]

ज्योतिर्मय दत्त,

उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971